



प्रेस-नोट थाना-खजनी, जनपद-गोरखपुर दिनांक 02-08-2021

आपरेशन तमंचा अभियान के तहत अवैध तमंचा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के दिशा निर्देश में अभियान के तहत व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक खजनी के नेतृत्व में दिनांक 01/08/2021 को उ०नि० चन्द्र भूषण पाण्डेय मय हमराह कां० रविन्द्र यादव, कां० रविन्द्र वर्मा देखभाल क्षेत्र, शान्ति व्यवस्था, तलाश वाछित वारण्टी चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति महुआडाबर क्षेत्र मामूर थे कि जरिए जरिए मुखबिर खास सूचना मिली की बरडाड तिराहे से भीटी खोरिया जाने वाले रास्ते में रामपुर मलौली मोड़ से पहले नर्सिंग मौर्या चाय की दुकान के पास एक व्यक्ति टहल रहा है जिसके पास नाजायज असलहा है, मुखबीर खास की सूचना पर पहुँच कर उक्त व्यक्ति को पकड़ कर जामा तलाशी ली गयी तो उसके पास से एक अदद पिस्टल 7.65 एमएम व 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ तथा नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अमरजीत यादव पुत्र रामप्रीत यादव निवासी कूड़ा बुजुर्ग उर्फ कुड़नी थाना खजनी जनपद गोरखपुर बताया जिसको समय 23.30 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में मु०अ०सं० 213/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमरजीत यादव पुत्र रामप्रीत यादव निवासी कूड़ा बुजुर्ग उर्फ कुड़नी थाना खजनी जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 213/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी -

01 अदद 7.65 एमएम पिस्ट, 02 अदद जिंदा कारतूस

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण का नाम -

1. उ०नि० चन्द्र भूषण पाण्डेय
2. कां० रविन्द्र वर्मा
3. कां० रविन्द्र यादव